न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

अभ्यावेदन प्रकरण कमांक 2359–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–07–2015 पारित व्दारा – कलेक्टर अशोकनगर – प्रकरण कमांक 30/बी–121/2014–15

1– शाहिद अली पुत्र हामिद अली
2– श्रीमती फिरोज सैयद पत्नि स्व.ताहिर अली
3– श्रीमती फातिमा सैयद पत्नि ताहिर अली
4– सैयद नासिर अली पुत्र ताहिर अली
5– कु.कनीज सैयद पुत्री ताहिर अली नावा.
6– सैयद हसमत अली पुत्र ताहिर अली नावा.
7– कु. बुसरा सैयद पुत्री ताहिर अली नावा.
5,6,7 नावा.संरक्षक माता श्रीमती फिरोज सैयद
सभी निवासीगण कटरा मोहल्ला अशोकनगर
तहसील व जिला अशोकनगर ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– धन्नालाल पुत्र नवला हरिजन
निवासी अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक–2 के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री बी.एन.त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 04 –11 –2015 को पारित)

यह अभ्यावेदन कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 30/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 की कंडिका 18 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर व्दारा अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक 1407 दिनांक 17.9.1975 से रेल्वे लायन से लगी हुई नजूल भूमि

सर्वे कमांक 404,405,408 पर 12 प्लाट तैयार कर निम्नानुसार व्यक्तियों उनके नाम के सामने अंकित प्लाट दिये जाने की अनुसॅशा कर तथा कुछ प्लाट खाली रखना बताकर कलेक्टर गुना से अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया :-

1. किशोरी लाल पुत्र ग्यारसा हरिजन प्लाट क0 1
2. लल्लीराम पुत्र जवाहर तेली प्लाट क0 2
3. हरप्रसाद पुत्र भैयालाल हरिजन प्लाट क0 3
4. हरीश पुत्र भगवानदास पंजाबी प्लाट क0 4
5. सुखलाल पुत्र समेरचंद हरिजन प्लाट क0 5
6. खाली है प्लाट क0 6
7. शिवचरण पुत्र दुलीचंद प्लाट क0 7
8. चुन्नीलजाल पुत्र परमानंद हरिजन प्लाट क0 8
9. दौलतराम पुत्र दमरू हरिजन प्लाट क0 9
10. हामिदअली पुत्र नूरअली मुसलमान प्लाट क0 10
11. खाली है प्लाट क0 11
12. विष्णु प्रसाद पुत्र जवाहरलाल ब्रा. प्लाट क0 12

उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ? अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का प्रकरण कमांक 1 अ 20(2) 2001-02 (पुराना नंबर) 40 अ-20(2)/1970-71 मौन है।

ताहिर अली पुत्र हामिद अली ने नजूल भूमि सर्वे कमांक 404,405,408 का अंश भाग 18X18 फीट एक वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को आवेदन दिनांक 20-4-71 प्रस्तुत किया, परन्तु इस आवेदक के आवेदन का निराकरण यथासमय न होकर प्रकरण प्रचलित रहा। दिनांक 17-5-1982 को अनावेदक कमांक-2 धन्नालाल ने उक्त पर आपत्ति प्रस्तुत कर स्वयं् को अस्थाई लीज दिये जाने की मांग की। इसी दरम्यान प्लाट नंबर 10 ताहिर अली पुत्र हामिद अली को लीज पर आवंटित किया गया। इस प्रकार प्लाट कमांक 11 का भाग साढ़े सात वाई दस फुट का भूखंड आवंटन से शेष रहा जो विवादित है। इसी प्लाट

को आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-2 लीज पर लेना चाहते हैं। विभिन्न न्यायालयों में अपील/अभ्यावेदन के प्रचलित रहते हुये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 93/अ-20(2)/1982-83 में आदेश दिनांक 30-6-1983 पारित करके अन्य नजूल प्लाट क्रमांक 38 स्टेशन रोड अशोकनगर लीज पर अनावेदक क्र-2 को दे दिया। विचाराधीन प्रकरण में प्लाट क्र-11 (आगे जिसे वादोक्त प्लाट अंकित किया गया है)पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-2 अपना अपना कब्जा होना बताते हैं। मौके पर आवेदकगण का वादोक्त प्लाट पर कब्जा पाने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 792/अ-68/75-76 दर्ज कर आदेश दिनांक 4-2-1980 पारित किया तथा आवेदकगण पर रू. 500/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। यह आदेश अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 82/1982-83 में पारित आदेश दिनांक 20.3.1985 से निरस्त कर दिया। इसके वाद आवेदकगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान में ताहिर अली की मृत्यु हो चुकी है एंव आवेदकगण उसके वारिसान हैं।

वादोक्त प्लाट के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक अशोकनगर व्दारा दिये गये जांच प्रतिवेदन दिनांक 25-3-1985 के अनुसार मौके पर आवेदकगण का कब्जा है। उभय पक्ष के बीच वादोक्त प्लाट का विवाद प्रचलित रहते हुये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक (पुराना नंबर) 40 अ-20(2) /1970-71 नया नम्बर 01 अ 20(2)/ 2001-02 में प्रतिवेदन दिनांक 18-6-2002 से कलेक्टर गुना को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदक धन्नालाल को पात्रता के आधार पर

प्रश्नाधीन प्लाट कमांक 11 अस्थाई पटटे पर आवंटन की अनुसॅशा की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर के इसी प्रतिवेदन पर से आवेदकगण ने अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो वाद में अशोकनगर जिले के गठन उपरांत कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में निराकरण हेतु अंतरित होने पर प्रकरण कमांक 30/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 से वादग्रस्त भूखंड स्थित सर्वे नंबर 406 दुकान नं. 11 (8X10=80) वर्गफुट की अस्थाई एक वर्ष के लिये पटटा अनावेदक कमांक-2 को स्वीकृत किया। इसी आदेश के विरूद्व यह अभ्यावेदन है।

3/ अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त प्लाट पर मृतक ताहिर अली का वर्ष 1971 के पूर्व से कब्जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर एंव कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदकगण को उक्त भूखंड के लिये इसलिये अपात्र अनुमानित किया है कि भूखंड कमांक 10 उन्हें पूर्व से आवंटित है जबकि भूखंड कमांक 10 हामिदअली पुत्र नूरअली मुसलमान को आवंटित हुआ है । आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार भूखंड कमांक 10 हामिदअली के पुत्र शाहिद अली एंव उसके परिजनों के पास है जबकि आवेदकगण ताहिर अली की पत्नि पुत्र/पुत्रियां हैं जो भूखंड पर कब्जा किये है तथा उनकी आजीविका इसी भूखंड पर

किये जा रहे व्यवसाय से है। उन्होंने यह भी बताया कि अनावेदक धन्नालाल हरिजन के पास ईसागढ रोड पर मार्केटिंग सोसायटी के सामने बहुत बड़ा खेतनुमा भूखंड है एंव अशोकनगर के नजदीक ही कृषि भूमि है, जिसके कारण उसे वादोक्त भूखंड पाने की पात्रता नहीं है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर यह भी ध्यान में आया है कि अनावेदक क्र-2 धन्नालाल पूर्व में डाक बंगले के पास फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय करता रहा है एंव उसे स्टेशन रोड पर न्यू मार्केट में दुकान नंबर 42 आवंटित है तब दूसरी दुकान देना एंव उस दुकान को मृतक ताहिर अली के वारिसान श्रीमती फिरोज सैयद पत्नि स्व.ताहिर अली ,श्रीमती फातिमा एंव उनके अवयस्क पुत्र/पुत्रियों से छुड़ाकर अनावेदक क्र-2 को देना उचित प्रतीत नहीं होता है, जबकि कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 21.7.2015 के पद 7 (डी) में यह माना है कि शाहिद अली का वादोक्त प्लाट पर सन 1962 से कब्जा है। कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 21.7.2015 से यदि लगभग 52 वर्ष वाद आवेदक विधवा महिलायें एंव अल्पवयस्क के जीवकोपार्जन के साधन अर्थात वादोक्त प्लाट को छुड़ाकर व्यवसाय से बंचित किया जावेगा, नीतिगत नहीं माना जा सकता क्योंकि अनावेदक क्र-2 के पास व्यवसाय हेतु पूर्व से ही स्टेशन रोड पर न्यू मार्केट में दुकान नंबर 42 है एंव उसका कृषक होना भी बताया गया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक (पुराना नंबर) 40 अ-20(2) /1970-71 नया नम्बर 01 अ 20(2)/ 2001-02 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 18-6-2002 एंव कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण

क्रमांक 30/बी-121/14 -15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 नियमानुसार न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभ्यावेदन स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक (पुराना नंबर) 40 अ-20(2) /1970-71 नया नम्बर 01 अ 20(2)/ 2001-02 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 18-6-2002 एंव कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/बी-121/14 -15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा वादग्रस्त प्लाट पर सन 1962 से साहिद अली का उसके वाद ताहिर अली का तथा वर्तमान में ताहिरअली के उत्तराधिकारियों का कब्जा निरन्तरता में प्रमाणित होने से अशोकनगर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 406 में स्थित दुकान क्रमांक 11(9X10=80) वर्गफुट अस्थाई पटटे पर आवेदकगण के हित में वर्तमान प्रचलित दर पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर